प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **16-08-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1-ट्रक को खरीदरकर,बची किस्ते जमा न कर, धोखाधड़ी करने व गाली-गलौज,धमकी देने के मुकदमा का वांछित आरोपी गिरफ्तार,थाना ठाकुरद्वाराः-

अवगत कराना है दिनांक 06.05.2025 को वादी फईम पुत्र प्यारे निवासी कमालपुरी खालसा थाना ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी से पुराना ट्रक लेकर बची किश्ते जमा करने की बात तय होने पर, अभियुक्तगण द्वारा किश्ते जमा न करने वादी के साथ धोखाधडी कर अमानत में खनायत करने तथा वादी के साथ गाली गलौच कर काटने की धमकी देने व ट्रक को कटवा देने के संबंध में प्रार्थना-पत्र दिया गया। जिसके आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0-172/2025 धारा-316(2)/318(4)/352/351(3)/324(5) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आज दिनांक 16.08.2025 को उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी हसीन खां पुत्र सलामत खां निवासी मदीना मस्जिद बरेली गेट रामपुर तहसील सदर जिला रामपुर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपीः-

हसीन खां पुत्र सलामत खां निवासी मदीना मस्जिद बरेली गेट रामपुर तहसील सदर जिला रामपुर

2-घर में घुसकर महिला पर चाकू से हमला कर घायल कर देने का आरोपी गिरफ्तार,थाना बिलारीः-

अवगत कराना है दिनांक 10.08.2025 को वादी नन्हे पुत्र जयदेव निवासी ग्राम मकरन्दपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्त द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की पत्नी पर जान से मारने की नियत से चाकू से पेट में वार कर, घायल कर देने के संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-358/2025 धारा-333/109 (1) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आज दिनांक 16.08.2025 को उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना बिलारी द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपी कमलेश पुत्र मोहन निवासी ग्राम एवनी थाना टोडी फतेहपुर जनपद झाँसी को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार आरोपीः-

कमलेश पुत्र मोहन निवासी ग्राम एवनी थाना टोडी फतेहपुर जनपद झाँसी

बरामदगीः-

घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 श्री विपिन कुमार यादव थाना बिलारी ,मुरादाबाद।

का0 सचिन सिंह थाना बिलारी ,मुरादाबाद।

का0 नितिन कुमार थाना बिलारी मुरादाबाद

3-जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 19 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा 19 व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

शांति व्यवस्था भंग के आरोपीगण विवरणः-

थाना कोतवाली नगर-01,थाना मुगलपुरा-01,थाना सिविल लाइन्स-01,थाना कांठ-02,थाना ठाकुरद्वारा-01, थाना बिलारी-03,थाना मैनाठेर-02,थाना डिलारी-06,थाना भगतपुर-02

4-दि0 14/15.08.2025 को थाना मूंढापाण्डे क्षेत्रांतर्गत गोवंशीय पशु का वध करने वाले तथा पुलिस टीम पर अवैध तमंचे से फायर करने वाले 03 अभियुक्तगण को थाना मूढांपाण्डे पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार,अभियुक्तगण के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मो0सा0,गौवंशीय पशुओं का वध करने वाले औजार,घटना में प्रयुक्त तीन अवैध तमंचे,02 खोखा कारतूस,06 जिंदा कारतूस किये गये बरामद।

अवगत कराना है दिनांक 14/15.08.2025 को कुछ अज्ञात अभि0 गण द्वारा ग्राम सिरसखेड़ा व ग्राम नरखेड़ा के गौकशी की घटना की गई थी। उच्चाधिकारीगण द्वारा मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। घटना के संबंध में सम्बन्ध में थाना मूंढापाण्डे पर मु0अं0स0- 368/2025 धारा- 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद द्वारा उक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिये निर्देशन के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी हाईवे के पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व में थाना मूंढापाण्डे पर टीम का गठन हुआ। गठित टीम द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे तथा क्षेत्र में मुखबिर भी सक्रिय किये गये। जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 16.08.2025 को प्रातः मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान एक मो0सा0 पर सवार तीन संदिग्धों को पुलिस टीम द्वारा ग्राम सिरसखेडा से आगे नरखेडा की ओर सडक के पास पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया,जिनके द्वारा पुलिस टीम पर अवैध तमंचों से फायर किये गये। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी तथा अपना बचाव करते हुये आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई जिसमें 1.जफर पुत्र इदरीश निवासी ग्राम सीकमपुर पाण्डे थाना मूढापाण्डे,मुरादाबाद के बाये पैर में गोली लगने से घायल हो गया,जिसे मौके पर घायलावस्थां में गिरफ्तार किया गया तत्पश्चात अभियुक्तगण 2.कासिम पुत्र भूरा निवासी ग्राम सिरसखेडा थाना मूढापाण्डे,मुरादाबाद 3.अकरम पुत्र असलम निवासी ग्राम सिरसखेडा थाना मूढापाण्डे,मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल व दो अवैध तमंचा मय दो खोखा कारतूस 315 बोर नाल में फंसे हुए व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अवैध तमंचा मय दो कारतूस जिन्दा 12 बोर व एक कारतूस जिन्दा 12 बोर तमन्चे की नाल में फसा तथा एक कट्टे में गौवध करने के औजार एक कुल्हाडी ,दो छुरे,एक बांका ,एक रस्सा आदि बरामद किये गये। घायल अभियुक्त जफर को ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। उक्त संबंध में थाना मूँढापाण्डे पर मु0अं0स0- 369/2025 धारा- 109(1) बीएनएस व धारा 3/25 शस्त्र अधि0 बनाम 1.जफर पुत्र इदरीश निवासी ग्राम सीकमपुर पाण्डे थाना मूढापाण्डे,मुरादाबाद, 2.कासिम पुत्र भूरा निवासी ग्राम सिरसखेडा थाना मूढापाण्डे जिला मुरादाबाद 3. अकरम पुत्र असलम निवासी ग्राम सिरसखेडा थाना मूढापाण्डे,मुरादाबाद पंजकृत किया गया ।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया हम तीनो जफर, अकरम व कासिम आपस मे दोस्त है। हम लोग मिलकर आवरा गौवंशीय पशुओ को जंगल से पकड़कर गौवध कर उनके मांस को इधर-उधर बेचकर अच्छे पैसे कमा लेते है। जफर व कासिम ने बताया कि एक दिन पहले हम दोनो व हमारे साथियो शौएब पुत्र अली सैन निवासी नरखेङा, आकिल पुत्र अमीन निवासी नरखेङा व नाजिम पुत्र रहीस निवासी सीकमपुर पाण्डे ने गांव सिरसखेडा के जंगल में गौकशी की थी तथा दो अन्य साथियो को जिन्हे शौएब ,आकिल ,नाजिम जानते है हम लोगो ने मिलकर एक दिन पहले रात्रि में ग्राम सिरसखेङा व नरखेङा के जंगल मे एक गाय को काटकर उसके मांस को अच्छे पैसो मे लोगो को सप्लाई कर दिया था। जिन्हे हम नही जानते है और हमने गौवंशीय पशु के अवशेष, खाल को जल्दबाजी मे मौके पर छोङ दिया था। एक दिन पहले की गौकशी की घटना में हमारे साथ अकरम नही था। आज हम दोनों अपने साथ में अकरम को लेकर फिर से सिरसखेङा के जंगल मे गौकशी करने के औजार व तमंचे कारतूस लेकर जा रहे थे। हमने अपने अन्य साथियो को भी सूचना कर रखी थी। सभी लोग एक साथ इकट्ठा होने के बाद ही गौकशी करते कि आपने आज हम लोगो को पुलिस द्वारा पकङ लिया, हम अवैध असलाह अपने बचाव के लिए रखते है। हम तीनो अपने आप को पुलिस से घिरता देख भाग रहे थे ,पकङे जाने के डर से पुलिस के ऊपर जान से मारने की नियत से तमन्चे से फायर कर दिये थे, अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास थाना मूंढापाण्डे पुलिस द्वारा किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.जफर पुत्र इदरीश निवासी ग्राम सीकमपुर पाण्डे थाना मूढापाण्डे जिला मुरादाबाद

2.कासिम पुत्र भूरा निवासी ग्राम सिरसखेङा थाना मूढापाण्डे जिला मुरादाबाद

3. अकरम पुत्र असलम निवासी ग्राम सिरसखेङा थाना मूढापाण्डे जिला मुरादाबाद

बरामदगीः-

एक मोटर साईकिल व एक कट्टे मे गौवध करने के औजार (एक कुल्हाङी ,दो छुरे,एक बांका ,एक रस्सा) ,दो अवैध तमंचा 315 बोर,दो खोखा कारतूस 315 बोर नाल मे फंसे हुए व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अवैध तमंचा 12 बोर मय दो कारतूस जिन्दा 12 बोर व एक कारतूस जिन्दा 12 बोर तमन्चे की नाल मे फंसा।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त कासिम उर्फ मोटा उपरोक्त

1.मु0अ0स0 194/2025 धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 व 269/270/429 भादवि थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद

2. मु 0अं0स0 102/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 11 पशु कूरता अधि0 व 269/270/429 भादवि थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद

3. मु0अं0स0 346/2022 धारा 11 पशु कूरता अधि0 व 429 भादवि थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद

4. मु0अ0स0 49/2023 धारा 406/420/506 भादवि थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद

5.मु0अ0सं0 354/22 धारा 11 पशु कूरता अधि0 व 429 भादवि थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद

6. मु0अं0स0 368/2025 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु कूरता अधि0 थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद

7. मु0अं0स0 369/2025 धारा 109(1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड) व धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद

अभियुक्त अकरम उपरोक्त

1.मु0अ0स0 70/22 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु कूरता अधि0 थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद

2. मु0अं0स0 369/2025 धारा 109(1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड) व धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद

अभियुक्त जफर उपरोक्त

1.मु0अ0स0 368/2025 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु कूरता अधि0 थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद

2. मु0अं0स0 369/2025 धारा 109(1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड) व धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद अभि0 गणो को अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम थाना मूढापाण्डे , मुरादाबादः-

श्री राजीव कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद
व0उ0नि0 दीपक चौहान चौहान थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद
उ0नि0 श्री मदन कुमार थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद
उ0नि0 रामअवतार सिंह थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद
उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद
उ0 नि0 रमेश सक्सेना थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद
उ0नि0 नरेन्द्र कुमार थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद
उ0नि0 श्री परमवीर सिह थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद
हे0का0 राजीव कुमार थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद
हे0का0 राहुल कुमार थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद
हे0का0 आर्यन कुमार थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद
हे0का0 जबर सिह थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद
हे0का0 नरेन्द्र कुमार थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद
का0 अरूण कुमार थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद
का0 भानु प्रताप सिह थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद
का0 शुभमपाल सिह थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद

5-दि0 01.08.2025 को थाना पाकबड़ा क्षेत्रांतर्गत एक व्यक्ति की जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर देने, की घटना का थाना पाकबड़ा पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुये, घटना कारित करने के प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है दिनांक 02.08.2025 को थाना प्रभारी पाकबड़ा को सूचना मिली कि थाना पाकबड़ा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रतनपुर कलां मे प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र के पास एक व्यक्ति का शव मिला है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी पाकबड़ा, उच्चाधिकारीगण को सूचना देकर घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक नगर, मुरादाबाद द्वारा मौके पर जाकर किया गया। मृतक की शिनाख्त रिंकू सिंह पुत्र सत्यवीर निवासी ग्राम रतनपुर कलां थाना पाकबडा मुरादाबाद (भाजपा बूथ अध्यक्ष) के रूप में हुई, मृतक के परिजनों द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.08.2025 को रिंकू सिंह उपरोक्त रात्रि 10.00 बजे घर से दही लेने के लिए निकला था, जो कि रात्रि को घर नही पहुंचा। फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। जिसके पश्चात वादी श्री सत्यवीर सिंह पुत्र स्व0 श्री महीपाल सिंह निवासी ग्राम रतनपुर कला थाना पाकबडा जनपद मुरादाबाद ने अज्ञात द्वारा वादी के पुत्र रिंकू सिंह को जहरीला पदार्थ खिला देने, जिससे वादी के पुत्र की मृत्यु हो जाने के संबंध में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना पाकबड़ा पर मु0अ0सं0-200/2025 धारा- 123/105 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना कारित होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के उक्त घटना के शीघ्र अनावरण तथा संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशन के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी हाईवे के मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण में थाना पाकबड़ा पर टीम का गठन किया गया।

गठित टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के आधार पर आज दिनांक 16.08.2025 को मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त अरूण पुत्र नरेश निवासी ग्राम रतनपुर कला थाना पाकबडा जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त अरुण उपरोक्त की निशादेही पर घटना कारित करने में प्रयुक्त, एक छोटी पन्नी में सफेद रंग का पदार्थ, एक छोटी प्लास्टिक की शीशी, जिसमें कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ है एवं एक रैपर शराब कागज का (जिस पर 8 PM लिखा है) बरामद किया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1) की वृद्धि करते हुए धारा 123/105 बीएनएस का विलोप किया गया।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त अरूण उपरोक्त से पूछने पर बताया कि मैने ही रिंकू पुत्र सत्यवीर को जहरीला पदार्थ शराब मे मिलाकर पिलाकर हत्या की है। मैं बहुत मजबूर हो गया था क्योंकि रिंकू मेरा फुफेरा भाई था और मेरा दोस्त भी था, लेकिन रिंकू मेरी पत्नी से मेरी गैर मौजूदगी मे मेरे घर जाकर बातचीत किया करता था और फोन पर भी मेरी पत्नी व रिंकू बात किया करते थे ,मुझे यह बात अच्छी नही लगती थी, मैने अपनी पत्नी को कई बार इस बात के लिए टोका ओर समझाया भी था लेकिन नही मानती थी व कई बार मेरा और पत्नी का इस बात को लेकर झगडा भी हुआ और मैने को इस बात के लिए मारा पीटा भी है मैने रिंकू से भी इस सम्बन्ध मे पूछा तो रिंकू बहाने बनाकर मना कर देता था और कहता की तुम गलत सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नही है। फिर मैने इस बात की शिकायत रिंकू के पिता व अपने मामा सत्यवीर से भी की थी ओर उनसे कहा था की आप रिंकू को समझा दो वो मेरी पत्नी से सम्बन्ध रखता है और मेरी गैर मौजूदगी मे मेरे घर जाता है ओर उससे बातचीत करता है। जब मुझे लगा की रिंकू मेरी पत्नी से बात करना बन्द नही कर रहा है तब मैने अपने मन ही मन रिंकू को खत्म कर देने का ठान लिया। मुझे पता था कि रिंकू शराब पीने का शौकीन है तब मैने सोचा की मै इसकी शराब मे कोई जहरीला पदार्थ मिला लूँ और पिला दूँ तो किसी को पता भी नही चलेगा और लोगो को लगेगा की शराब पीने की वजह से ही रिंकू की मौत हुई है। मैं एक फैक्ट्री मे काम करता हूँ जोकि पुराने टोल के पास है वैसे मैं तो लकडी का कारीगर हूँ। लेकिन हमारी फैक्ट्री मे मैटल साफ करने व चमकाने के लिए एक केमिकल जोकि पाउडर के रूप मे होता है और बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने घटना से कुछ दिन पूर्व अपने फैक्ट्री से वह केमिकल निकाल लिया और एक शीशी मे पानी मे घोल लिया और दिनांक 01.08.2025 को मैने ठेके से 8- पीएम शराब का एक पाऊच लिया और रिंकू को प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र रतनपुर कला बुलाकर ले गया था और वही मैने प्लास्टिक के गिलास मे शराब पलटी औऱ अपने साथ लाये प्लास्टिक की शीशी मे जिसमे मैने जहरीला पदार्थ घोला हुआ था ,को शऱाब मे पानी की जगह मिलाकर रिंकू को पिला दिया था और थोडी ही देर मे रिंकू की मृत्यु हो गयी थी मैने वह शराब का खाली पाउच केमिकल वाली प्लास्टिक की शीशी व प्लास्टिक की पुडिया मे लाए केमिकल को वही स्कूल मे पिछली तरफ बने टूटे खन्डरो मे छिपा दिया था और वहा से चला आय़ा था। मु मैने गुस्से मे आकर अपने फुफेर भाई रिंकू की जहर देकर हत्या करने का पाप किया है मुझे इसका बहुत पछतावा भी है मैने जहरीले पदार्थ की शीशी व जहरीले केमिकल व प्लास्टिक के गिलास को वही खण्डर मे छिपा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

अरूण पुत्र नरेश निवासी ग्राम रतनपुर कला थाना पाकबडा जिला मुरादाबाद।

बरामदगीः-

1.एक छोटी पन्नी में सफेद रंग का पदार्थ

2.एक छोटी प्लास्टिक की शीशी जिसमें कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ है

3.एक रैपर शराब कागज का जिस पर 8 PM लिखा है

पंजीकृत अभियोगः-

1.मु0अ0सं0- 200/2025 धारा- 103(1) बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार थाना पाकबडा,मुरादाबाद।
2.उ0नि0 अनिल कुमार थाना पाकबडा,मुरादाबाद।
3.हे0का0 बसन्त कुमार थाना पाकबडा,मुरादाबाद।
4.हे0का0 एकान्त कुमार थाना पाकबडा,मुरादाबाद।
5.का0 विक्रान्त कुमार थाना पाकबडा ,मुरादाबाद।
6.का0 बिजेन्द्र सिंह थाना पाकबडा ,मुरादाबाद।